

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12646 / 5800

दिनांक :- 30-07-2020

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री किरन बैरवा [लिंक न. 12646] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम मुख्यालय (एक्स काडर), जयपुर - [1000369] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 08/07/2019 से 26/07/2019 तक 19 दिवस

कुल 19 दिवस

उक्त कुल 19 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती / सुश्री किरन बैरवा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 06/07/2019, 07/07/2019, 27/07/2019, 28/07/2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12646 / 5800

दिनांक :- 30-07-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम मुख्यालय (एक्स काडर), जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री/श्रीमती / सुश्री किरन बैरवा [12646] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम मुख्यालय (एक्स काडर), जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)